

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2561
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

रोजगार पर एनएलएम-ईडीपी का प्रभाव

2561. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) - उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का ब्यौरा क्या है, विशेषकर आवंटित धनराशि की कुल राशि कितनी है और योजना के विभिन्न घटकों के बीच इन निधियों का वितरण किस प्रकार किया जाता है;

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित राजसहायता का ब्यौरा क्या है और पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता को समर्थन देने के लिए इन निधियों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, विशेषकर राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों सहित देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, किस प्रकार की नौकरियाँ और रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं; और

(घ) पशुधन क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक विकास पर एनएलएम-ईडीपी का अपेक्षित प्रभाव क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन -उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक क्रेडिट-लिंग योजना है, जिसके अंतर्गत अधिकतम 50.00 लाख रुपये की सीमा तक 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs), किसान सहकारी संगठनों (FCOs) और धारा 8 कंपनियों को प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, गधा प्रजनन फार्मों, साथ ही चारा मूल्यवर्धन इकाइयों जैसे हे, साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और भंडारण इकाइयों की स्थापना में सहायता करती है।

परियोजना के प्रकार के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 लाख रु. से 50 लाख रु. तक है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सब्सिडी सीमाएँ इस प्रकार हैं:

- पोल्ट्री परियोजना: 25 लाख रु. तक
- भेड़ और बकरी पालन: 10 लाख रु. से 50 लाख रु. तक
- सुअर पालन: 15 लाख रु. से 30 लाख रु. तक

- चारा परियोजनाएँ/चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना इकाइयाँ: 50 लाख रु. तक
- घोड़ा/ऊँट/गधा प्रजनन: 3 लाख रु. से 50 लाख रु. तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान ईडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित कुल निधि 559.53 करोड़ रुपये है और अब तक जारी की गई श्रेणीवार सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणीवार प्रगति-NLM (EDP)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
पशु आहार और चारा	129	120.62	52.86	20.17
जुगाली करने वाले छोटे पशु (भेड़ और बकरी)	3169	2240.20	1050.34	386.04
सूअर पालन उद्यमी	338	200.13	80.63	41.78
ग्रामीण पोल्ट्री	207	111.50	49.86	25.41
कुल	3843	2672.45	1233.69	473.4

(ग) और (घ) NLM-EDP से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 18,475 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वर्तमान में, बारां जिले में NLM-EDP के अंतर्गत कोई परियोजना अनुमोदित नहीं है, हालांकि राजस्थान के झालावाड़ जिले में दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनसे 13 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

NLM-EDP के अंतर्गत शुरू की गई पहलें उद्यमियों और नियोजित (hired) कर्मचारियों दोनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करती है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना पशु चिकित्सा सेवाओं, पशु आहार आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर और व्यक्तियों के लिए बाजार सहायता भी सृजित करती है। यह योजना व्यवहार्य व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए ग्रामीण आजीविका को भी सुदृढ़ करती है, क्योंकि यह विशेष रूप से अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और भूमिहीन परिवारों से आने वाले ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लक्षित करती है।

एनएलएम-ईडीपी कौशल विकास में भी योगदान देती है, क्योंकि NLM का एक प्रमुख तत्व इसका क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकी के हस्तांतरण पर जोर देना है, जिससे पशुपालकों और पशुपालन में कार्यरत व्यक्तियों के कौशल में सुधार होता है। इस मिशन में आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन पद्धतियों के प्रसार के उद्देश्य से क्षमता निर्माण और कौशल-आधारित प्रशिक्षण की पहलें शामिल हैं। प्रशिक्षण में प्रजनन, आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रसंस्करण सहित विभिन्न घटकों का समाधान किया जाता है, जो किसानों को वैज्ञानिक और लाभदायक पालन तकनीकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाते हैं।
